न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला–सांचौर

पीठासीन अधिकारी :– श्री प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)
राजस्व वाद संख्या :– 01/2026
जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2026/6
अनवान

1. सगताराम पुत्र वोहताराम जाति कलबी निवासी रघुनाथपुरा तहसील सांचौर, जिला जालोर

प्रार्थी............

1. तहसीलदार (भूमिधारी), सांचौर, तहसील– सांचौर, जिला– जालोर (राज.)।
2. उकाराम पुत्र वोहता।
3. तुलसाराम पुत्र वोहता।
4. दलाराम पुत्र वोहता।
5. मीरा देवी पत्नी वोहता जातियान कलबी निवासीगण रघुनाथपुरा, तहसील–सांचौर, जिला–जालोर (राज.)।
6. शाखा प्रबंधक, आई सी आई सी आई बैंक, शाखा सांचौर, तहसील–सांचौर, जिला– जालोर।
7. शाखा प्रबंधक, आरएमजीबी बैंक, शाखा हाड़ेचा, तहसील–सांचौर, जिला– जालोर।
8. शाखा प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा बिछावाड़ी तहसील सांचौर।

अप्रार्थीगण............

प्रार्थना–पत्र बाबत् रेकर्ड दुरूस्ती करने अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

तारीख रजु :– 02.01.2026

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री रमेश कलबी उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 2 से 5 की अधिवक्ता श्री छोगाराम चौधरी उपस्थित।
3. अप्रार्थी सं. 1, 6, 7, 8 एकपक्षीय।

–: निर्णय :–

दिनांकः– 16.01.2026

1. संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि मुझ प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 02 से 05 की खातेदारी कृषि भूमि मौजा रघुनाथपुरा, पटवार हल्का बावरला, तहसील– सांचौर के खेत खाता संख्या 47 मे खसरा संख्या 1495/547, 1496/547, 1497/547, 1508/548, 1509/548, 636/1381, 639, कुल रकबा 5.7480 हैक्टेयर भूमि का राजस्व रिकॉर्ड मे दर्जसुदा है। जिसमे मुझ प्रार्थी का हिस्सा 1/5 है। तथा वर्तमान जमाबंदी संवत 2073–2076 में मेरा नाम सुरेश पुत्र वोहता दर्ज है। कृषि भूमि मौजा रघुनाथपुरा, पटवार हल्का बावरला. तहसील सांचौर के खेत खाता संख्या 47 में खसरा संख्या 1495/547, 1496/547, 1497/547, 1508/548, 1509/548, 636/1381, 639, कुल रकबा 5.7480 हैक्टेयर भूमि

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

में मेरा 1/5 हिस्सा सवत् 2065 से 2068 में मुझ प्रार्थी के पिता वोहता के नाम दर्ज थी। उसके बाद मुझ प्रार्थी के पिता वोहता की मृत्यु के बाद विरासत का नामान्तरकरण संख्या 103 को भरते समय मेरा नाम राजस्व रिकॉर्ड मे त्रुटिवश सुरेश पुत्र वोहता दर्ज कर दिया। जमाबंदी अवलोकनार्थ साथ सलंग्न है। जबकि मेरा वास्तविक नाम सगताराम पुत्र वोहताराम था। नाम सम्बन्धी दस्तावेज अवलोकनार्थ साथ सलंग्न है। कृषि भूमि मौजा रघुनाथपुरा, पटवार हल्का– बावरला, तहसील– सांचौर के खेत खाता संख्या 47 में खसरा संख्या 1495/547, 1496/547, 1497/547, 1508/548, 1509/548, 636/1381, 639, कुल रकबा 5.7480 हैक्टेयर भूमि में 1/5 हिस्से का मुझ प्रार्थी के पिता वोहता की मृत्यु के बाद विरासत का नामान्तण भरते समय राजस्व अधिकारियो ने मेरा नाम राजस्व रिकॉर्ड मे त्रुटिवश सुरेश पुत्र वोहता दर्ज कर दिया। तथा सुरेश पुत्र वोहता नाम की लिपिकीय त्रुटि को दुरस्त कर सगताराम पुत्र वोहताराम किये जाने हेतु यह प्रार्थना–पत्र श्रीमान महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः श्रीमानजी से प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र पेश कर निवेदन है कि मुझ प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अनुसार स्वीकार फरमाकर पद संख्या 03 मे वर्णित राजस्व रिकॉर्ड मे नाम की लिपिकीय त्रुटि को दुरस्त किये जाने का आदेश देने का श्रम करावे।

2. प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र बाद कार्यालय टिप्पणी दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थी सं. 2 से 5 की ओर से अधिवक्ता श्री छोगाराम उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 1, 6 से 8 एकपक्षीय।

3. अप्रार्थी संख्या 2 से 5 की ओर से अधिवक्ता श्री छोगाराम चौधरी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जिसके सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है किः– अवतरण संख्या 01 में वर्णित तथ्य जानकारी के अनुसार सही है। प्रार्थी व हम अप्रार्थीगण की भूमि ग्राम रघुनाथपुरा, पटवार हल्का–बावरला, तहसील– सांचौर में आई हुई है। तथा जमाबंदी मे प्रार्थी का नाम त्रुटिवश सुरेश दर्ज है। अवतरण संख्या 02 में वर्णित तथ्य जानकारी के अनुसार सही है। मौजा रघुनाथपुरा, पटवार हल्का बावरला, तहसील– सांचौर के खेत खाता संख्या 47 मे खसरा संख्या 1495/547, 1496/547, 1497/547, 1508/548, 1509/548, 636/1381, 639, कुल रकबा 5.7480 हैक्टेयर भूमि मे 1/5 हिस्से में प्रार्थी के पिता वोहता की मृत्यु के बाद विरासत का नामान्तरकरण भरते समय प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड मे त्रुटिवश सुरेश पुत्र वोहता दर्ज कर दिया। जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम सगताराम पुत्र वोहताराम था। मौजा रघुनाथपुरा, पटवार हल्का बावरला, तहसील सांचौर के खेत खाता संख्या 47 मे खसरा संख्या 1495/547, 1496/547. 1497/547, 1508/548, 1509/548, 636/1381, 639, कुल रकबा 5.7480 हैक्टेयर भूमि में 1/5 हिस्से में प्रार्थी की सुरेश पुत्र वोहता नाम की लिपिकीय त्रुटि को दुरस्त कर सगताराम पुत्र वोहताराम किया जाता है, तो हमे कोई आप्पति नही है। अतः जवाब मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि मौजा रघुनाथपुरा, पटवार हल्का बावरला, तहसील– सांचौर के खेत खाता संख्या 47 में खसरा संख्या 1495/547, 1496/547, 1497/547. 1508/548, 1509/548, 636/1381, 639, कुल रकबा 5.7480 हैक्टेयर भूमि मे 1/5 हिस्से में प्रार्थी की सुरेश पुत्र वोहता नाम की लिपिकीय त्रुटि को दुरस्त कर सगताराम पुत्र वोहताराम किया जाता है, तो हमे कोई आप्पति नही है।

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

4. प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया है कि भूमि मौजा रघुनाथपुरा, पटवार हल्का बावरला, तहसील– सांचौर के खेत खाता संख्या 47 मे खसरा संख्या 1495 / 547, 1496 / 547, 1497 / 547, 1508 / 548, 1509 / 548, 636 / 1381, 639, कुल रकबा 5.7480 हैक्टेयर राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का 1 / 5 हिस्सा है। प्रार्थी का वास्तविक नाम सगताराम पुत्र वोहताराम होने के बावजूद राजस्व रिकॉर्ड में त्रुटिवश सुरेश पुत्र वोहता दर्ज कर दिया गया। जमाबंदी एवं नाम सम्बन्धी प्रमाण संलग्न हैं। अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि धारा 136, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अंतर्गत प्रार्थी के नाम की उक्त लिपिकीय त्रुटि को दुरुस्त कर सगताराम पुत्र वोहताराम दर्ज करने का आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी संख्या 2 से 5 की ओर से अधिवक्ता द्वारा बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण की भूमि मौजा रघुनाथपुरा, पटवार हल्का बावरला, तहसील– सांचौर के खेत खाता संख्या 47 मे खसरा संख्या 1495 / 547, 1496 / 547, 1497 / 547, 1508 / 548, 1509 / 548, 636 / 1381, 639, कुल रकबा 5.7480 हैक्टेयर भूमि में दर्ज सुरेश पुत्र वोहता नामक लिपिकीय त्रुटि को सुधारकर सगताराम पुत्र वोहताराम किया जाए तो इस सुधार पर हमें कोई आपत्ति नहीं है।

6. हमने अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी जाकर उस पर मनन किया। पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र के साथ आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र कार्ड का अवलोकन किया, उक्त अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त तमाम दस्तावेजात् के अनुसार प्रार्थी का नाम सुरेश पुत्र वोहता की बजाय **सगताराम पुत्र वोहताराम** बदला जाना उचित प्रतीत होने से प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

–ःआदेशः–

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण से निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांचौर को आदेशित किया जाता है कि मौजा रघुनाथपुरा, पटवार हल्का बावरला, तहसील– सांचौर के खेत खाता संख्या 47 मे खसरा संख्या 1495 / 547, 1496 / 547, 1497 / 547, 1508 / 548, 1509 / 548, 636 / 1381, 639, कुल रकबा 5.7480 हैक्टेयर में दर्ज प्रार्थी का नाम सुरेश पुत्र वोहता की बजाय **सगताराम पुत्र वोहताराम** के नाम की राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज दुरूस्ती की जावें। पालनार्थ तहसीलदार सांचौर को तहरीर जारी हो।

(प्रमोद कुमार, **आर.ए.एस**)
उपखण्ड अधिकारी सांचौर

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

निर्णय आज दिनांक **16.01.2026** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

कार्यालय कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सांचौर
जिला जालोर